

सेवा में / To,

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), The Principal Accountant General (Audit),  
हरियाणा, चंडीगढ़ Haryana, Chandigarh

महोदय/महोदया / Sir/Madam,

मुझे यह सूचित करना है कि मैंने वर्ष \_\_\_\_\_ में \_\_\_\_\_ शाखा में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा एस.ओ/ए.ए.ओ के लिए आयोजित राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूँ कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 (2) (v) के अंतर्गत, आयकर नियम, 1961 के नियम 50 के साथ पठित (यथासंशोधित) कृपया मुझे आयकर अधिकारियों के समक्ष "अधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में उपस्थित होने में सक्षम होने के लिए एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

I am to state that I have passed the Revenue Audit Examination for SO's/AAO's conducted by Comptroller and Auditor General of India in \_\_\_\_\_ Branch in the year \_\_\_\_\_. I am therefore, to request that a certificate under section 288 (2) (v) of Income Tax Act, 1961 read with rule 50 of the Income Tax Rules, 1961 (as amended) may kindly be issued to me to enable to appear as "Authorised Representative" before the Income Tax Authorities.

मेरे विवरण नीचे दिए गए हैं: / My particulars are given below:

1	नाम / Name	
2	पदनाम / Designation	
3	कार्यालय का नाम / Name of office	
4	सेवानिवृत्ति की तिथि / Date of Retirement	
5	राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/माह Year/Month of passing Revenue Audit Examination	
6	शाखा / Branch	
7	इंडेक्स नंबर / Index No.	

(हस्ताक्षर / Signature)

दिनांक / Dated:

आवेदक का नाम / Name of the Applicant

वर्तमान घर का पता / Present House Address

सेवानिवृत्ति के बाद घर का पता / House Address after retirement

मोबाइल/फोन नंबर / Mobile/Phone No.